

दिनांक:

पंचांग मिह

विक्रम संवत्

2010 शासन

संकालन,

१. विदेशक,

८०५ भगवीय विकास अभियान,

उन्नाम, लखनऊ;

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्नाम योग्यतम विभाग।

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या ४३ के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति बहुल्य वरित्याँ तथा नगरीय मणिन वरित्याँ में आसरा योजनान्तर्गत द्वितीय/मंत्रिम किशत यो वित्तीय स्वीकृति ।

नमोद,

आर्युदत्त विषयक आपके पत्र संख्या-1438/76/एव/2013-14 दिनांक 13 जुलाई, 2015 के संदर्भ में नुस्खे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बहुल्य वरित्याँ तथा नगरीय मणिन वरित्याँ में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-४३ से विदेशक, सूक्त के विवरण पर रखी धनराशि से वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद-बुलन्दशहर की जिकाय, छतरी की ३३ आवासी की ०१ परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-189/26-व०प०-१४-३०(आसरा-४३)/2013 दिनांक 28.02.2014 द्वारा रु० ९७.६८ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित परियोजना सागत का ५० प्रतिशत अर्थात् रु० ४८.८४ लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चाहूँ वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधिक बजट से निम्नलिखित तालिका से स्तम्भ-७ में अंकित धनराशि रु० ४८.८४ लाख (रूपये अड्डालिस लाख चौरासी हजार मात्र) की द्वितीय/मंत्रिम किशत के रूप में श्री राज्यपाल नमोदय निम्नलिखित शर्तों/परिवर्त्याँ के अधीन सहृदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(चनासी लाख रूपये में)

क्र० सं०	जनपद/ जिल्हा वा नाम	कुल आवासी की संख्या	प्रति लागत दर	आवास	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थीकों के आवासी की संख्या	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थीकों के कुल आवासीय लागत	द्वितीय/मंत्रिम द्वारा दिया गया रूपये में स्वीकृति
१	२	३	४	५	६	७	
१	बुलन्दशहर /धनराशि	१९६	२.९६	३३	९७.६८	४८.८४	
	बोग			३३	९७.६८	४८.८४	

(रूपये अड्डालिस लाख चौरासी हजार मात्र)

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- ३३/६९-१-१३-१४(३१)/२०१२टीसी(सी), दिनांक १६ जनवरी, २०१४ एवं शासनादेश संख्या-१३३३/६९-१-१४-१४(३१)/२०१२टीसी(सी) दिनांक ०९ शितावर, २०१४ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णस्पैष्ट अनुपालन सुनिश्चित ढारते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कर्वय प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तापुस्तिका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तार-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सकल स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उमीदवाली /प्रिया द्वारा

२/

३. इस दृष्टि से विभिन्न राज्यों के सरकारों ने यह अनुमोदित कर लिया है कि इन अधिकारों के लिए उत्तम अधिकारी का नियुक्त कराया जायेगा। साथ ही विभिन्न राज्यों द्वारा इन अधिकारों के लिए अधिकारी नियुक्त कराया जायेगा। इस दृष्टि से इन अधिकारों के अधिकारी को नियुक्त कराया जायेगा।
४. इस अधिकारी को आसां, प्रायोजन एवं मुन्द्रलक्षण प्रभाव, राज्य रत्नीय गदाधार आवास द्वारा नियुक्त किया जायेगा। इसके लिए उत्तम अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा। योग्यतानुमति परिवर्जना में अनुमति का लिए उपलब्ध, आवासीय एवं कारों के लिए उपलब्ध अनुमति नहीं होगा।
५. उपर घनराशि जिस कार्य/मठ में रवीकृत दो जा रहे हैं, इसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मठ के लिया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का कार्य वित्तीय विधि के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण शुभावलता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण कार्यी जारीगी एवं लिस्टी प्रकार का कास्ट एस्टेलेशन अनुमत्य लाही होगा।
६. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रवीकृत दिये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि रवीकृत लाही दी गई है तथा वही यह कार्य लिस्टी अन्य कार्य एवं जन ग्रंथि समिति में सम्बन्धित है। उपर स्वीकृत धनराशि आवंटित परिवर्त्य के अन्तर्गत होने वाले एवं कार्यों को द्विराचारी/पुनरावृति न हो इसे सूडा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
७. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्त्ता जैसे नये कार्य बढ़ावा, कार्यों के आकर/दोकाल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये वित्त लाही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समित द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति विनियोगित करने के पूर्व विस्तृत डिज़ाइन/इडिग बनाने समग्र प्रायोजन लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विवार नहीं किया जायेगा।
८. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसां प्रायोजनान्तर्गत अन्यायों के विषय से सम्बन्धित जावाकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
९. उपर घनराशि दृष्टि के गांधीगम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान व सम्बन्धित दूरा द्वारा प्रतियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित सम्पादित गोजना विभिन्नों के अनुग्रहण पर आशयस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/उपर के माध्यम से जिम्मेदार इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उत्कृष्टानुसार सभी पहलुओं पर आशयस्त हो लेंगे।
१०. उपर घनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०३०, लखनऊ द्वारा प्रभुत्य संघीय/संघीय भ्रथया प्रियोग सविषय, नगरीय रज्जगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रोफेसरस्टाफरोपरायत किया जायेगा।
११. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकीय), महालेखाकार (तेखा), ३०३०, इलाहाबाद को अदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाक्कवर संघया, तिथि तथा तेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध दारा दी जायेगी।
१२. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखा जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व ग्रामान्वयम केन्द्र व राज्य के करों की स्वीकृत की कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्यों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 से जारी करेंडा अप्रैल 30, 2016 तक धनराशि द्यावे हो जाने का प्रयत्न करें और उन्हें बैंक/मुद्राकारी द्वारा आवश्यक शासन के समय से उपलब्ध कराया जा सका। इसके अंतर्गत कोई भौतिक वाराणी याद कोई हो, तो एकमुक्त शासन द्वारा घटना करने जाएगी।
14. दिव्येशक/सचिव, संघ नगरीय विकास आयोजना, उपराजनपाल गाँवराप ने यह 14 मार्च 2016 का विवाद समन्वयाकार के कार्यालय के लिए से अप्रैल घोषित किया गया।
15. दिव्येशकना से सम्बन्धित लिमण इनमें से वर्षावाला धनराशि आमुक्त करने से पूर्व अनुमति (एम०ओ०य०) निर्धारित किये जाने रेत् सूत्र द्वारा सम्बन्धित दृढ़ा को निर्दिष्ट किया जायेगा।
16. सौमित्र की जा रही धनराशि का राय योजना अध्ययन, भारत सरकार संघ समन्वयासंगीतोऽसांगी०/टी०एस०य० हेतु विर्भारित व्यायामावृत्ति वैयक्त जनपूर्वक जाति के लिए ही भिन्न जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यव चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के ज्ञान-व्यवसर में भवदात संख्या 83 के अनुसार लेखा शीर्षक “4216 आवास पर पूर्जीगत परिवेश आयोजनाना०८२-शुद्धी आपास-78९ अनुमति जानियो के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आपासीय भवन) ने वृद्ध निर्माण दर्शाया” के लिए जारी जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय द्वारा नंदगा १/2015/य०-१३२५/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

अपासीय  
पूर्जीगत  
(एम०य० यिंह)  
विशेष घटक

**संख्या-78६/2015/१/१३ (१)/६९-१-१५, तदनिर्णय।**

प्रतिलिपि लिम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक लागीयाही हेतु प्रेषित-

1. भ्रह्मलेखाकार (सेया एवं हक्कदारी), प्रथम, ३०४०, २०-सरोजली नामदू जारी, हेतुलगाड़।
2. दिव्येशक, स्थानीय निधि सेया परीक्षा विभाग, ५०५०, छठगं तप, संगम लेस, विविल लाल, डिलाजाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नतज्ञन कार्यक्रम विभाग, ३०५० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, बुदन्दशहर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग ४, ३०५० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, ३०५० शासन।
7. सुगाज कल्याण (वज्र प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कान्धाण विभाग, ३०५०, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जगहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, संघ नगरीय विकास अभियान, ३०५०, लखनऊ।
10. सहायक वेद मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. गांड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/वज्र समन्वयक।

आज्ञा से,  
(एच०य० यिंह)  
विशेष सचिव।